

16/11/22

पत्रावली पेश हुयी । वाडी व वकील वाडी  
अनुपस्थित । बार-बार आवाज लगावानी गयी ।  
आवाज लगावने के उपरान्त भी वाडी की ओर  
से कोई उपस्थित नहीं आया । अतः वाडी का  
वाड पत्र अदालत हाजरी अदालत फेरवी में खावीज  
किया जाता है । पत्रावली फोनल शुभा (होकर  
नाम्बर से कर लेकर दफ्तर दाखिल है ।

(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)